भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 169

01 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि और किसानों पर व्यय

***169. श्री राहुल रमेश शेवाले:**

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार कृषि और किसानों पर प्रति वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अलग-अलग विवरण क्या है;

(ख) क्या इस बात की गारंटी है कि प्रत्येक किसान को विभिन्न रूपों में 50,000 रुपये मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका अलग-अलग विवरण क्या है;

(ग) केंद्र सरकार की योजनाएं किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन ला पा रही हैं;

(घ) क्या खाद्य सुरक्षा गेहूं और चावल तक ही सीमित है;

(ड.) यदि हां, तो क्या खाद्य सुरक्षा में और अधिक मदों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि और किसानों पर व्यय" के संबंध में दिनांक 01 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसने देशभर में कृषि को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित की गई है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए खर्च (संशोधित अनुमान) का विवरण निम्नानुसार है:-

2022-23 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा व्यय*	
विभाग/योजना	**धनराशि (रुपये करोड़ में)**
उर्वरक सब्सिडी	225220
खाद्य सब्सिडी	287194
कृषि और संबद्ध गतिविधियां (पीएम-किसान को छोड़कर)	76279
पीएम-किसान	60000
कुल	648693

* संशोधित अनुमान 2022-23

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण में वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रूपए की वृद्धि की गई थी ताकि इसे वर्ष 2023-24 तक 20 लाख करोड़ रूपए तक पहुंचाया जा सके।

(ग): इन योजनाओं के सकारात्मक कार्यान्वयन की दिशा में सरकार के समर्पित प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाई है।

(घ) से (च): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) 28 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएफएसएम का प्राथमिक उद्देश्य, क्षेत्र विस्तार और

उत्पादकता वृद्धि उपायों दोनों के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, श्री अन्न और पोषक अनाज सहित खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है।

दलहन और पोषक अनाजों पर विशेष ध्यान देने के साथ, एनएफएसएम विभिन्न माध्यमों से उनके उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसमें बीज मिनीकिट का वितरण, चावल के परती क्षेत्रों और चावल के खेतों में दलहन को बढ़ावा देना और केंद्रीय/राज्य बीज एजेंसियों को दलहन और पोषक अनाजों के लिए गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

पोषण में श्री अन्न के महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अप्रैल, 2018 में श्री अन्न को पोषक अनाज के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे उनके उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा मिला।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष, 2023, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने में भारत के प्रस्ताव और श्री अन्न के मूल्य की वैश्विक मान्यता का एक प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त, डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का उद्देश्य, बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में सुधार करना और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है। एमआईडीएच बागवानी विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की विविध कृषि-जलवायु विशेषताओं और तुलनात्मक लाभों के आधार पर क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग कार्यनीतियों को शामिल किया जाता है। यह बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार सेवाओं, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन पर जोर देता है।

इन पहलों के माध्यम से, भारत सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और देशभर में किसानों की आजीविका के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

*****